एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 04, अंक: 04 (जुलाई-अगस्त, 2024)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

स्वयं सहायता समूह का महत्व एवं निर्माण

(*सुमन शर्मा, डॉ. पवन कुमार पारीक, बिरम सिंह गुर्जर एवं आनंद शर्मा)
विषय विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, जालोर-I
*संवादी लेखक का ईमेल पता: dubaesuman092@gmail.com

भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार और उद्यम विकास के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूह का प्रावधान किया है। स्वयं सहायता समूह गरीब नागरिकों के 10 से 20 तक के सदस्यों वाला एक स्वैच्छिक संगठन है जिसे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए चलाया जाता है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने साल 1997 में स्वयं सहयता समूहों को ग्रामीण गरीबों के छोटे आर्थिक रूप से पिछड़े समूह के रूप में परिभाषित किया था। स्वयं सहायता समूह समान आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले छोटे उद्यमियों का पंजीकृत या गैर पंजीकृत समूह होता है जिसे समूह के महिलाओं द्वारा एक सूक्ष्म राशि को बचाने के लिए सदस्यों की सहमति से एक दूसरे की सहायता और जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है।

स्वयं सहायता समूह गरीब नागरिकों के 10 से 20 तक के सदस्यों वाला एक स्वैच्छिक संगठन है जिसे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए चलाया जाता है।

इस समूह से जुड़ा हर व्यक्ति अपनी कमाई से एक समान पैसा हर महीने बचा कर इस समूह में जमा करता है| इसके बाद जब उस महिला को कभी पैसों की जरूरत होगी, तो वह स्वयं सहायता समूह से अपना व्यवसाय चालू करने के लिए या कोई जरूरी कार्य के लिए उचित ब्याज दर पर पैसा निकाल सकता है|

महिला स्वयं सहायता समूह में शामिल सदस्यों में से किसी तीन सदस्यों को पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है| ये पदाधिकारी समूह का संचालन करते हैं, जैसे पैसों का लेनदेन, पैसा टाइम पर जमा करवाना, जिसको पैसों की जरूरत हो उसे पैसा ब्याज पर देना, हर चीज का लेखा-जोखा करना, इन पदाधिकारियों का काम होता है| स्वयं सहायता समूह के नाम से बैंक में बचत खाता खुलवाया जाता है, जिसमें सभी सदस्यों द्वारा दी जाने वाली धनराशि जमा की जाती है| समूह का कार्य समूह के सदस्यों की आर्थिक सहायता करना है।

समूह कैसे बनाएं ?

स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए अपने गाँव का कोई शिक्षित स्थानीय व्यक्ति की जरूरत होती है यह व्यक्ति एनिमेटर या facilitator कहलाता है। एक एनिमेटर वह व्यक्ति होता है जो पहले से समुदाय के लिए जाना जाता है जो गरीब लोगों को समूह बनाने में मदद करता है एवं उस व्यक्ति द्वारा स्वयं सहायता

समूह (SHG) के लाभों के बारे में लोगों को बताया जाता है। स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए सबसे पहले अपने समूह के लिए एक नाम रखना होगा| इसके बाद इस समूह में कम से कम 10 महिलाएं ज्यादा से ज्यादा 20 महिलाओं का एक ग्रुप बना ले| समूह में सदस्य महिलाओं में से कम से कम 3 से 4 महिलाएं पढ़ी लिखी होनी चाहिए क्यूंकि समूह में इन महिलाओं को अध्यक्ष,कोषाध्यक्ष आदि बनाया जाता है। महिलाओं का ग्रुप बनाने के बाद इस समूह का रजिस्टर कराना होता है| स्वयं सहायता समूह Registration आप तीन तरीके से करा सकते हैं,

पहला तरीका है ब्लॉक के माध्यम से:- यानी वे सभी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, वे ग्राम विकास अधिकारी के पास जाकर अपने ग्रुप का पंजीयन करवा सकती हैं|

दूसरा तरीका है सीएससी केंद्र के माध्यम से:- यानी अपने क्षेत्र के नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं|

तीसरा तरीका है ऑनलाइन:- आप चाहे तो ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन से स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण करवा सकते हैं| इसके लिए सरकार द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट nrlm.gov.in लांच किया गया है| जिसके माध्यम से आप अपने समूह का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं|

समूह का उद्देश्य

- महिलाओं में आत्मविशवास बढ़ाना और उनकी क्षमताओं का विकास करना।
- महिलाओं के बीच समूह (group) में कार्य करने और एक दूसरे के लिए सहायता की भावना का विकास करना।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- महिलाओं को बचत हेतु प्रत्साहित करना।
- महिलाओं में समूह के निर्णयों के निर्माण का विकास करना।
- सामाजिक उत्तरदायित्वों को लेने के लिए महिलाओं को प्रेरित करना।

SHG- स्वयं सहायता समूह Benefit (एसएचजी के लाभ और विशेषता)

- भारत में SHG निर्धन महिलाओं के बीच काफी प्रसिद्ध है।
- स्वयं सहायता समूह एक छोटा अनौपचारिक समूह (informal group) है। जो महिलाओं को बचत और ऋण प्राप्त करने में सहायक होते हैं।
- स्वयं सहायता समूह की सहायता से महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं।
- SHG महिलाओं को एक मंच प्रदान करता है जहाँ वह अपने अनुभव एक दूसरे को बता सकती हैं और समस्याओं पर चर्चा कर सकती हैं।
- अनेक एसएचजी द्वारा महिलाओं को दिए गए प्रशिक्षण से महिलाएं अपने हुनर का विकास कर लघु व्यवसाय स्थापित कर सकती हैं।
- बैंक द्वारा महिलाओं को लोन प्रदान किया जायेगा।
- यह मॉडल महिलाओं के अनौपचारिक समूह को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ता है।
- बैंक द्वारा दिए गए ऋण पर कम ब्याज दर ली जाती है।
- यदि महिलाएं समूह से जुडी हैं तो उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किया जाता है।